22/6/17 आज इस पत्रावली को अदालत का में पेश हुई
वादी प्रतिवादी आपसी समझौता की उपस्थिति में उभयपक्ष
के अधिवक्ता का अवलोकन किया गया। पक्षों का प्रकरण
प्रारम्भिक चरण में प्रतीत होता। अतः पक्षों का प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाता है प्रकरण में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा
आदेश 39-R-15 का लम्बित वाद कालीन किया जाता है
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमीम अग्रिम
कार्यवाही की जाने निमित्त कोर्ट में लिया जाकर
रखा गया।